



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227088
CG-DL-E-19052021-227088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1804]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943

No. 1804]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

का.आ. 1931(अ).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. संख्या 1645 (ई) दिनांक 26 मई 2020, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, धारा 3, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 की धारा 3 ए) की उप-धारा (1) के तहत उप-धारा (द्वितीय) जारी (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केन्द्र सरकार ने भवन (चौड़ी करण/चार लेनिंग, के लिए उक्त अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अपनी अटेंशन घोषित की आदि), कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में किमी. 74.2 से किमी. 135.5 (निदागट्टा- मैसूर खंड) तक भूमि के खंड पर एनएच 275 कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में किमी. 74.2 से किमी. 135.5 (निदागट्टा - मैसूर खंड) कर्नाटक राज्य में मांड्या जिले में और जबकि उक्त अधिसूचना का सार “विजया कर्नाटक” और “डेक्कन हेराल्ड” दोनों दिनांक 2 जून 2020 में उक्त अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित किया गया है;

और जबकि आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है और अनुमति नहीं दी गई है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की जानी चाहिए;

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित होगी, जो सभी भारों से मुक्त होगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में केएम 74.2 से किमी. 135.5 (निदागट्टा - मैसूर खंड) तक भूमि के खंड में एनएच 275 के भीतर आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: मांड्या			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मदुर					
गांव का नाम: अगरलिंगनाडोडु					
1	48	निजी	ड्राई/वेट	0.0152	सरोजम्मा w/o तम्मन्ना (४८)
2	50 / 1	निजी	ड्राई/वेट	0.0127	नीला (५०/१)
3	50 / 2	निजी	ड्राई/वेट	0.0101	नीला (५०/२)
गांव का नाम: गेज्जलगेरे					
4	19/3A1	निजी	गरमातना	0.008	मुत्ता (१९/३ए१)
5	286/1B	निजी	नक्	0.0078	हेगडे क शषकंठ (२८६/१ब)
6	286/1C	निजी	नक्	0.008	हेगडे क शषकंठ (२८६/१क)
गांव का नाम: मदुर					
7	324 / 1	निजी	नक्	0.0101	मल्लिकार्जुन बी (३२४/१)
गांव का नाम: मोबबलागेरे					
8	77 / 1	निजी	नाक	0.054	बी अप्पाजी गोव्वा (७७/१)

	गांव का नाम: रुद्राक्षीपुरा				
9	109 / 1	निजी	ड्राई/वेट	0.0344	जयरमऊ (१०९/१)
10	110 / 2	निजी	ड्राई/वेट	0.0215	र प प्रकश (११०/२)
	तालुक का नाम: मांड्या				
	गांव का नाम: बी.होसहल्ली				
1	39/3	निजी	वेट	0.0165	नागाणा (३९ ३)
	गांव का नाम: होलालु				
2	47	निजी	वेट	0.0405	श्रीनिवासा गोवडा (४७ १)
3	56/2	निजी	वेट	0.0404	राजांना (५६/२)
	गांव का नाम: दवलु				
4	BETWEEN 1 & OLD JMC ROAD	निजी	ग्रंताना	0.1161	एस पर डाक्यूमेंट्स (विलेज लैंड बी व १क ओल्ड मक रोड ओल्ड)
	तालुक का नाम: श्रीरंगपट्टन				
	गांव का नाम: गणांगुरु				
1	111/10	अन्य	ड्राई	0.0202	एस पर डाक्यूमेंट्स (१११/१०)
2	140/1	अन्य	नक्	0.0606	एस पर डाक्यूमेंट्स (१४०/१)
			कुल	0.4761	

[फा. सं. NH-12014/4/2014-KNT(P-6)/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2021

S.O. 1931(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No 1645(E) dated 26 th May 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH275 on the stretch of land from Km. 74.2 to Km. 135.5 (Nidagatta - Mysuru Section) in the district of MANDYA in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “VIJAYA KARNATAKA” and “DECCAN HERALD” both dated 2nd June 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH275 in the stretch of land from KM. 74.2 to KM. 135.5 (Nidagatta - Mysuru Section) in the district of MANDYA in the State of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: MANDYA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Maddur				
	Village: Agaralinganadoddi				
1	48	Private	Dry/Wet	0.0152	SAROJAMMA W/O THAMMANNA 48
2	50 / 1	Private	DRY/WET	0.0127	NEELAIAH 50/1
3	50 / 2	Private	DRY/WET	0.0101	NEELAIAH 50/2
	Village: Gejjalagere				
4	19/3A1	Private	GRAMATANA	0.008	MUTTAIAH 19/3A1
5	286/1B	Private	NAK	0.0078	HEGDE K SHASHKANTH 286/1B
6	286/1C	Private	NAK	0.008	HEGDE K SHASHKANTH 286/1C
	Village: Maddur				
7	324 / 1	Private	NAK	0.0101	MALLIKARJUN B 324/1
	Village: Mobbalagere				
8	77 / 1	Private	N A K	0.054	B APPAJI GOWDA 77/1

	Village: Rudrakshipura				
9	109 / 1	Private	Dry/Wet	0.0344	JAYARAMU 109/1
10	110 / 2	Private	Dry/WET	0.0215	R P PRAKESH 110/2
	Taluk: Mandya				
	Village: B.Hosahalli				
1	39/3	Private	WET	0.0165	Naganna 39/3
	Village: Holalu				
2	47	Private	WET	0.0405	Srinivasa Gowda 47/1
3	56/2	Private	WET	0.0404	Rajanna 56/2
	Village: Indavalu				
4	BETWEEN 1 & OLD JMC ROAD	Private	GRAMTANA	0.1161	AS PER DOCUMENTS VILLAGE LAND B/W 1C OLD MC ROAD OLD
	Taluk: Shrirangapattana				
	Village: Gananguru				
1	111/10	Common	DRY	0.0202	AS PER DOCUMENTS 111/10
2	140/1	Common	NAK	0.0606	AS PER DOCUMENTS 140/1
			TOTAL	0.4761	

[F. No. NH-12014/4/2014-KNT(P-6)/3D3]

RAJESH GUPTA, Director